

SANJAY SINGH

Member of Parliament, (Rajya Sabha)
Leader of Party in Rajya Sabha
Member of

- Parliamentary Standing Committee Urban Development
- Consultative Committee for the Ministry of Housing and Urban Affairs
- Central Silk Board
- Delhi State Haj Committee
- Parliamentary Friendship Group with Latin-America Countries (LAC)



राष्ट्रपति जयते

सदस्य,

- शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति
- परापर्गदानी समिति आवासन और शहरी कार्य घंगालय
- केंद्रीय सिल्क बोर्ड
- दिल्ली राज्य हज समिति
- संसदीय पंत्री समूह लैटिन अपेरिकन देश

Ref. No.

Date : _____ / _____ / _____

सेवा में,

आदरणीय प्रधानमंत्री जी

भारत सरकार

विषय - दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को दी जा रही यातनाओं के सम्बंध में।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

नम्र निवेदन के साथ आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ हो रहा है वो अत्यधिक दुःखद है। पूरी दिल्ली की जनता गहरी पीड़ा में है। तिहाड़ जेल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिये यातना गृह बना दिया गया है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पीएमओं एवं LG साहब द्वारा 24 घंटे केजरीवाल जी पर सीसीटीवी कैमरे द्वारा नजर रखी जा रही है। यह देखा जा रहा है कि वह क्या कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं क्या लिख रहे हैं। कब सो रहे हैं कब जाग रहे हैं। उनकी एक एक गतिविधि पर ऐसे नजर रखी जा रही है जैसे मानो कोई बहुत बड़ा जासूस जासूसी करा रहा हो। दिन भर नजर रखने के बावजूद 23 दिनों तक उनको जीवन रक्षक इन्सुलिन नहीं दी गयी। उनके शुगर का स्तर बुरी स्थिति में जाने के बावजूद उन्हें इन्सुलिन नहीं दी गयी। तीन बार के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आखिर क्या गुनाह है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का? यही की उन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया, पूरी दिल्ली को अच्छा इलाज दिया, बिजली-पानी फ्री किया, माताओं बहनों के लिए 1000 रुपये महीने देने की योजना लाये, श्रवण कुमार बनकर बुजुर्ग माताओं बहनों को फ्री में तीर्थ कराया। क्या यही गुनाह है? क्या बिजली-पानी, पढ़ाई लिखाई और दवाई का ख्याल रखना ही उनका अपराध हो गया है।

Office : 129, North Avenue, New Delhi-110001

E-mail : mp.sanjaysingh@sansad.mic.in

1

Ph.: 011-23092293, 23094739 (M): +91-8588841358, 9721444433

सत्ता के इशारे पर पूरा सरकारी तंत्र केजरीवाल जी की निगरानी में लगा दिया गया है। जो जनता का काम छोड़ कर केजरीवाल जी को कैसे प्रताड़ित किया जाय इसकी योजना बना रहे हैं। CCTV में 24 घंटे अरविन्द केजरीवाल जी को क्यों देखना चाहते हैं आपलोग। बाथरूम से लेकर खाने तक की निगरानी रख रहे हैं। क्या देखना चाहते हैं कि केजरीवाल जी कितना बीमार हुए और केजरीवाल जी का मनोबल कितना गिरा? आप का पूरा तंत्र निगरानी करता है कि केजरीवाल को दवा तो नहीं मिल रही, वो इन्सुलिन के बिना कितना तड़प रहे हैं। केजरीवाल की इन्सुलिन बंद करने से उनकी किडनी कितनी खराब हुई? उनका लीवर कितना खराब हुआ? पूरी दिल्ली को फ्री दवाई देने वाले अरविन्द केजरीवाल जी को अपनी जीवन रक्षक दवाई इन्सुलिन लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है। उनका सपना तो पुरे देश को फ्री और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का है। क्या ये सपने ही आपकी डर का कारण हैं?

अरविंद केजरीवाल जी से आपकी वैचारिक दुश्मनी हो सकती है लेकिन यह व्यक्तिगत दुश्मन क्यों? क्या देश की राजनीति में गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ देना अपराध है, भारत की राजनीतिक विरासत बहुत समृद्धि रही है। क्या आप किसी विपक्षी नेता की जान लेकर विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं? अरविन्द जी दुनिया की सबसे बेहतरीन सरकार दिल्ली में चला रहे हैं आप उनके पीछे क्यों पड़े हैं? आपको केजरीवाल से कंपीटिशन करना है तो उनके जैसा स्कूल बनवाइये, अस्पताल बनवाइये बिजली पानी फ्री दीजिए काम की राजनीति कीजिए। किसी नेता की जीवन रक्षक दवाओं को रोक कर किसी नेता की जान लेकर आज तक कोई देश आगे नहीं बढ़ा है। जिस समय आपके पूरे तंत्र को देश के युवाओं के रोज़गार की चिंता करनी चाहिए, किसानों के आत्महत्या की चिंता करनी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए तो उस वक्त इसे बस आपने चुने हुए मुख्यमंत्री की दवाई रोकने में लगा दिया है, उनके सरकार को तोड़ने जोड़ने में लगा दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जासूसी के मकसद से 24 घंटे निगरानी करना उनकी दवा रोकना, उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित करके उनको मानसिक उत्पीड़न देना उनके जीवन जीने के अधिकारों का हनन है। जो कि अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में सभी देशवासियों को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21 संविधान की आत्मा है क्योंकि एक नागरिक की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की विस्तार से व्याख्या की है जिसमें स्वास्थ्य से लेकर भोजन, जमानत, त्वरित सुनवाई दोस्तों एवं परिवार के सदस्यों से मिलने का अधिकार आदि को इसके अंतर्गत

शामिल किया। लेकिन आज देश में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के सभी मौलिक अधिकारों का निर्ममता पूर्वक हनन किया जा रहा है। मुझे दुःख है कि यह सब पीएमओ एवं LG की निगरानी में हो रहा है। पूरा देश जानता है कि अरविन्द केजरीवाल जी को समाज सेवा में एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैगसेसे मिला है। उनके किये कामों कि पहचान पूरी दुनिया में है। केजरीवाल जी IRS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आये हैं। 49 दिन में उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की कुर्सी छोड़ दी। लगातार तीसरी बार बड़े बहुमत से चुनकर मुख्यमंत्री बने और दुनिया तक की कुर्सी छोड़ दी। लगातार तीसरी बार बड़े बहुमत से चुनकर मुख्यमंत्री बने और दुनिया की सबसे बेहतरीन सरकार दिल्ली में चला रहे हैं। भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार है जो फायदे में है। जहां महगाई कम है, जहां प्रति व्यक्ति आमदनी सभी राज्यों से ज्यादा है।

इतने अच्छे काम करने के बाद भी उनको इतनी यातानाए क्यों दी जा रही है। दिल्ली की जनता इससे बहुत दुखी है। आपके अत्याचार से केजरीवाल जी के बूढ़े माता-पिता भी अत्यंत दुखी हैं उनके माता-पिता ने समाज सेवा के लिए हमेशा केजरीवाल जी को प्रेरणा दी है। आज जेल में इन यातनाओं को सुनकर उन्हें बहुत दुःख हो रहा है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी इस दुःख की घड़ी में उनका संदेश पूरे देश तक पहुंचा रही हैं। उनका मन भी आपके इस अन्यायपूर्ण आचरण से बहुत दुखी है। यह लोकतंत्र के खिलाफ एक हिंसक व्यवहार है। यह विपक्ष को भयभीत करने की कोशिश है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने संसद में कहा था, "लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, राजनीतिक दल बनेंगे और विधित होंगे लेकिन देश जीवित रहना चाहिए और लोकतंत्र हमेशा बना रहना चाहिए"। अगर आप अटल जी के विचारों को मान लेते तो इस तरह का व्यवहार ना करते, अगर केजरीवाल जी को आपको हराना है तो चुनाव में हराइये। इस तरह बिना प्रभाण के जेल में बंद करके 24 घंटे जासूसी कराकर, उनकी जीवन रक्षक दवाई रोक कर उनकी जान लेने की कोशिस की जा रही है। लोकतंत्र में विपक्ष को मारने का यह तरीका बेहद घृणित, आपराधिक और अमानवीय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि बड़े जनादेश से चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का आचरण भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की मर्यादा और व्यवस्था के खिलाफ है। यह पाप करने के समान है, अमानवीय है, हिंसक है। इस पर तत्काल रोक लगाइये।

आपका,

(संजय सिंह)